

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2024—आश्विन 19, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. ई-1-57-2024-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य शासन की अनुशंसा पर श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2024 तक छः माह की सेवावृद्धि प्रदान की गई है।

2. राज्य शासन श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उक्त सेवावृद्धि समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 30 सितम्बर 2024 (अपराह्न) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति प्रदान करता है।

क्र. ई-1-204-2024-5-एक.—भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री अनुराग जैन, भाप्रसे (1989) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, सचिव "कार्मिक".

5031

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1163-2279534-2024-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (डी)-1-2010-ए-सोलह, दिनांक 12 अगस्त, 2015 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, एतद्वारा श्री एस. एस. दीक्षित, उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर को, उक्त अधिनियम के अधीन इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से पंजीयक, प्रतिनिधि संघ नियुक्त करती है।

No. F 1163-2279534-2024-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, in supersession of this Department's Notification No. F 4 (D)-1-2010-A-XVI, date 12th August, 2015, which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 14th August, 2015, hereby, appoints Shri S. S. Dixit, Deputy Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, Indore as Registrar of Representative Union, from the date of publication of this notification in “Madhya Pradesh Gazette” under the said Act.

क्र. 1163-2279534-2024-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961 (क्रमांक 26 सन् 1961) की धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 529-275-2022-ए-सोलह, भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2022 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, श्री पी. के. दुबे, अपर श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सम्पूर्ण राज्य के लिए प्रमाणकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है।

No. 1163-2279534-2024-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by Section 3(a) of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961) and in supersession of this Department's Notification No. 529-275-2022-A-XVI, dated 31st March, 2022 which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 31st March 2015, The State Government, hereby, appoints Shri P. K. Dube, Additional Labour Commissioner, as the Certifying Officer for the State of Madhya Pradesh from the date of publication of this notification in “Madhya Pradesh Gazette” under the said Act.

क्र. 1163-2279534-2024-ए-सोलह.—व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-(डी)-1-2010-ए-सोलह, दिनांक 12 अगस्त, 2015 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, एतद्वारा श्री एस. एस. दीक्षित, उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर को, उक्त अधिनियम के अधीन इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से ऐसे व्यवसाय संघों के लिये जिनका उद्देश्य इस राज्य तक सीमित हो, मध्यप्रदेश राज्य का पंजीयक, व्यवसाय संघ नियुक्त करती है।

No. 1163-2279534-2024-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Trade Union Act, 1926 (No. 16 of 1926), the State Government in supersession of this Department's Notification No. F 4(D)-1-2010-A-XVI, date 12th August, 2015, which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 14th August, 2015, hereby, appoints Shri S. S. Dixit, Deputy Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, Indore as Registrar of Madhya Pradesh State for such Trade Unions whose objectives are confined to the territory of this State, from the date of publication of this notification in “Madhya Pradesh Gazette” under the said Act.

क्र. एफ. 1163-2279534-2024-ए-सोलह.—भारत सरकार, श्रम विभाग की अधिसूचना एस. आर. ओ. 372, दिनांक 26 फरवरी, 1952 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-(डी)-1-2010-ए-सोलह दिनांक 12 अगस्त, 2015 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, एतद्वारा श्री एस. एस. दीक्षित, उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर को, उक्त अधिनियम के अधीन इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से ऐसे व्यवसाय संघों के लिये जिनका उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, और जिनके मुख्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, मध्यप्रदेश में स्थित है, पंजीयक, व्यवसाय संघ नियुक्त करती है।

No. F. 1163-2279534-2024-A-XVI.— In exercise of the powers conferred by Government of Government of India, Labour Department's Notification S. R. O. 372, dated 26th February, 1952 and Section 3 of the Trade Union Act, 1926 (No. 16 of 1926), the State Government, in supersession of this Department's Notification No. F 4 (D)-1-2010-A-XVI, date 12th August, 2015, which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 14th August, 2015, hereby, appoints Shri S. S. Dixit, Deputy Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, Indore as Registrar for such Trade Unions whose objectives are not confined to a single State and their headquarters or registered office is situated in Madhya Pradesh from the date of publication of this notification in “Madhya Pradesh Gazette.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
 पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

सिहोरा विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4265-वि. यो.-सिहोरा-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिहोरा विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका का संरत क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिहोरा विकास योजना 2011	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-13	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4291-वि. यो.-496 इन्दौर-उपां.-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इन्दौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

इंदौर विकास योजना 2021 के अध्याय 6 की कंडिका 6.20.1 की सारणी 6.22 के संरत क्रमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

S. No.	Residential	General Commercial	Mandi whole sale Specialized commercial	Industrial	Recreation	Agricultural	Trans- Portat- ion	PSP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
50	Hostels	P	P	C	P	NP	NP	NP	P

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

गोहद विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4328-वि. यो.-गोहद-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि गोहद विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गोहद, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भिण्ड, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गोहद विकास योजना 2031	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-11	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भिण्ड को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मंदसौर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4332-वि. यो.-मंदसौर-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मंदसौर विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मंदसौर, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नौमच, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मंदसौर विकास योजना 2011	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-14	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नौमच को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

पाण्डुर्ना विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4336-वि. यो.-पाण्डुर्ना-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पाण्डुर्ना विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला पाण्डुर्ना, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पाण्डुर्ना, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पाण्डुर्ना विकास योजना 2031	औद्योगिक	4	4-सा-9	4	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

श्योपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4340-वि. यो.-श्योपुर-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, श्योपुर, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय श्योपुर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्योपुर विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-15	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय श्योपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

बीना विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4344-वि. यो.-बीना-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बीना विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बीना, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बीना विकास योजना 2011	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	7	7-सा-9	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

खण्डवा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4348-वि. यो.-खण्डवा-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि खण्डवा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, खण्डवा, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा विकास योजना 2031	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	4	4-सा-20	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

कुक्षी विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4352-वि. यो.-कुक्षी-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कुक्षी विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, कुक्षी, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय धार, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कुक्षी विकास योजना 2031	औद्योगिक	6	6-सा-6	3	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, धार को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

महेश्वर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4356-वि. यो.-महेश्वर-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि महेश्वर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, महेश्वर, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महेश्वर विकास योजना 2021	औद्योगिक	6	6-सा-14	3	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

शहडोल विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4360-वि. यो.-शहडोल-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि शहडोल विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शहडोल, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शहडोल विकास योजना 2031	औद्योगिक अ. सेवा उद्योग ब. अन्य उद्योग	4	4-सा-12	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, शहडोल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

खुरई विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4365-वि. यो.-खुरई-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि खुरई विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, खुरई, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खुरई विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-11	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

चाकघाट विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4369-वि. यो.-चाकघाट-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि चाकघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, चाकघाट, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चाकघाट विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-13	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

आगर मालवा विकास योजना 2041 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4373-वि. यो.-आगर मालवा-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आगर मालवा विकास योजना 2041 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, आगर मालवा, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आगर मालवा विकास योजना 2041	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-13	4	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

सिरोंज विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4377-वि. यो.-सिरोंज-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिरोंज विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिरोंज, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सिरोंज विकास योजना 2031	औद्योगिक	6	6-सा-11	4	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

सलकनपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4381-वि. यो.-सलकनपुर-उपांतरण-नगानि-2024.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सलकनपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, रहेटी (सलकनपुर), जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सीहोर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक	सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सलकनपुर विकास योजना 2021	औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग	6	6-सा-10	3 (अ एवं ब)	छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सीहोर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

क्र. 4385-वि. यो. 496-सीधी-उपां.-नग्रानि-2024

सीधी विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सीधी विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला सीधी, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सीधी, म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

सीधी विकास योजना, 2035 के अध्याय -6 की कंडिका 6.7 की सारणी 6-सा-8 के सरल क्रमांक -50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

S.No.	Activity	Residential			Commercial			Industrial			Recreational			Agriculture		Transport		Public & Sem Public	Public Utilities and facilities
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF					
50	Hostels/Working Women Hostel	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP					

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सिंगरौली को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्र. 4390-वि. यो. 496-सिंगरौली-उपां-नगानि-2024

सिंगरौली विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिंगरौली विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, सिंगरौली, म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

सिंगरौली विकास योजना, 2035 के अध्याय -6 की कंडिका 6.6 की सारणी 6-सा-11के सरल क्रमांक -50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

S.No.	Activity	Residential			Commercial			Industrial			Recreational			Agriculture		Transport		Public & Sem Public Utilities and facilities	
		R1	C1	C6	I2	G1	G2	G6	A1	A2	T1	T7	P	PUF					
50	Hostels/Working Women Hostel	P	P	NP	P	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	P	NP					

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सिंगरौली को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

क्र. 4398-वि. यो.-496-चंदेरी-उपां-नगानि-2024

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

चंदेरी विकास योजना, 2001 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि चंदेरी विकास योजना, 2001 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला अशोकनगर, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चंदेरी, म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

चंदेरी विकास योजना, 2001 के अध्याय -9 की कंडिका 9.4 की सारणी 9-सा-2

भूमि उपयोग परिक्षेत्र	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग
1	2	3
वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, व्यापारिक व व्यावसायिक कार्यालय, सेवा सम्बन्धी दुकानें, जैसे नाई, दर्जी, धोबी एवं मरम्मत की दुकानें, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल जैसे छविगृह, नाट्यगृह, विशिष्ट बाजार, थोक व्यापार, मण्डियां, माल गोदाम व गोदाम जो बाधा उत्पन्न न करते हों, आवासीय निवास एवं व्यवसायिक स्थापनाएं.	पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र, कोयला, लकड़ी, इमारती लकड़ी- प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखाने, सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालाएं एवं सुधारक दुकानें कृषि पर आधारित उद्योग, जो मण्डियों से संलग्न हैं।
	(क) सामान्य उद्योग जैसे बहुखण्डीय कारखाने जैसे दाल व तेल मिल, डिब्बे व बोटल भरना, दुग्धालय, डिब्बों में फल भरना इत्यादि सेवा उद्योग जैसे मरम्मत कर्मशालाएं एवं सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं.	पेट्रोल पम्प, परिवहन कम्पनी, कूड़ा कर्कट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, अल्पाहार गृह, गोदाम, माल गोदाम एवं अग्रेषण अभिकरण.
	(ख) निष्कर्षण उद्योग जैसे चूना भट्टी, ईट भट्टे, मुरम व पत्थर खदान, पत्थर संदलन, छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना, प्रासंगिक श्रमिकों के लिये आवास	सेवा कर्मशालाएं, गोदाम व माल गोदाम

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है : -

चंदेरी विकास योजना, 2001 के अध्याय -9 की कंडिका 9.4 की सारणी 9-सा-2

भूमि उपयोग परिक्षेत्र	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग
1	2	3
वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, व्यापारिक व व्यावसायिक कार्यालय, सेवा सम्बन्धी दुकानें, जैसे नाई, दर्जी, धोबी एवं मरम्मत की दुकानें, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल जैसे छबिगृह, नाट्यगृह, विशिष्ट बाजार, थोक व्यापार, मण्डियां, माल गोदाम व गोदाम जो बाधा उत्पन्न न करते हों, आवासीय निवास एवं व्यवसायिक स्थापनाएं।	पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र, कोयला, लकड़ी, इमारती लकड़ी- प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखाने, सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालाएं एवं सुधारक दुकानें कृषि पर आधारित उद्योग, जो मण्डियों से संलग्न हैं।
औद्योगिक	(क) सामान्य उद्योग जैसे बहुखण्डीय कारखाने जैसे दाल व तेल मिल, डिब्बे व बोतल भरना, दुग्धालय, डिब्बों में फल भरना इत्यादि सेवा उद्योग जैसे मरम्मत कर्मशालाएं एवं सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं, छात्रावास	पेट्रोल पम्प, परिवहन कम्पनी, कूड़ा कर्कट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, अल्पाहार गृह, गोदाम, माल गोदाम एवं अग्रेषण अभिकरण।
	(ख) निष्कर्षण उद्योग जैसे चूना भट्टी, ईट भट्टे, मुरम व पत्थर खदान, पत्थर संदलन, छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना, प्रासंगिक श्रमिकों के लिये आवास	सेवा कर्मशालाएं, गोदाम व माल गोदाम

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह-संचालक.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 सितम्बर 2024

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2024-2025-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत पंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, पंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन, संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की पंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन .—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नंबर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्ट. में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम मोहगांव प.ह.नं.-41 ब. नं.-490 रा.नि.मं.- सारना.	1. जगदीश पिता ब्रजलाल, तेली निवासी, ग्राम भूमिस्वामी. 2. गोमती बाई पति स्व. हरिप्रसाद तिज्जु, संतोष पिता हरिप्रसाद, सुदामा पति स्व. घनश्याम, चंचलेश हितेश, माधवी, सोनू पिता घनश्याम छीपा, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	314/1/1 315/1 316/1	0.041 0.053 0.089	पंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने के संबंध में.
कुल योग				02	0.183	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 सितम्बर 2024

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2024-2025-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन, संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन .—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नंबर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्ट. में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम बांदराढाना प.ह.नं.-41 ब. नं.-200 रा.नि.मं.- सिंगोड़ी.	1. हीरामन पिता उदेसी, अहीर, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	567/1	0.120	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने के संबंध में.
			2. सोहन पिता हरिप्रसाद, अहीर, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	567/2	0.050	
कुल योग . .				02	0.170	

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखितरूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82/23-24-पत्र क्र.-143-भू-अर्जन-24

मैहर, दिनांक 13 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
मैहर	मैहर	चपना	1.0725 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सोनौरा शाखा क्रमांक 1 के नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 224/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	कोल्हुवा	0.3331	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 224/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	मझोखर	0.2926	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 2211/4 भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उंचेहरा	गोबरांवकला	0.5566	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क-7 सतना जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका एवं गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 2245/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	शिवपुर	6.1100	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की शिवपुर माइनर एवं धनखेर कला सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2294/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पुरुषोत्तमपुर	0.9213	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सुजावल माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2294/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	बेला	5.6438	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका एवं मझियारी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2257/मू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	उदयसागर	1.7600	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की कोठी माइनर एवं पोंडी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (मूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2257/मू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	पवैया	9.4775	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा की लोखरिहा माइनर 1, लोखरिहा माइनर 2 एवं गुलुवा माइनर 1 के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (मूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 ~~2258~~ / भू-अर्जन/24 दि0 27/09 / 2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	पड़रौत	10.5925	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनीता वितरिका एवं पड़रौत माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 ~~2257~~ / भू-अर्जन/24 दि0 27/09 / 2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	मझियार	0.5675	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझियार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 2260/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	कूची	2.3588	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका की पडरौत माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 2261/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	चिरहुली 143	1.7200	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2262/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	कल्हारी	10.1988	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की शिवपुर माइनर जिरवार कला सब माइनर एवं कल्हारी सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2263/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	तूमिन	1.0488	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की धनखेरखुर्द माइनर एवं भुमकहर माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2264/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	धवरहरा	9.5438	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की गडरा कोठार माइनर एवं रैगांव माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2265/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	बरह	1.1075	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की बरह माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 2266/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	महुटा	3.6913	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनीता वितरिका एवं पड़रीत माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 2267/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	कल्हाई	2.6325	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझियारी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 ~~2252~~/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	इटौरा	2.4575	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की गडरा कोठार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 ~~2252~~/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	कोठी	इटमा	4.2575	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की जैतवारा उपवितरिका की इटमा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 2254/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	मसनहा	7.9538	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत ओढकी माइनर की मसनहा सबमाइनर सोहावल वितरिका की गडरा कोठार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0 2255/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	कुडिया	5.3433	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2286/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	धनखेर कला	2.9700	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की शिवपुर माइनर के अंतर्गत धनखेर कला सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन प्र0क्र0 अ82/24-25 पत्र क्र0.2257/भू-अर्जन/24 दि0 27/09/2024
 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	रघुराजनगर	मुड़हा खुर्द	2.4613	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की शिवपुर माइनर एवं धनखेरखुर्द माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2234-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - गाड़ा कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 0.1700 हे०

क्र.	सर्वे नं.	प्रभावित रकवा (हे.मं.)
1	48/110/1/1	0.170
कुल योग-		0.170

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत सलैया उनमुक्त माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र० 2242 भू-अर्जन/2024 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. मं) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	उर्चेहरा	कोल्हूवा	2.030 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र०-07 नागौद जिला सतना (म०प्र०)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना में नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-2235-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - रेरूआ खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 3.1670 हे०

क्र.	खसरा नं०	अर्जित रकवा है में
1	601/1	0.1140
2	601/2	0.1140
3	601/3	0.1000
4	602/8/1/1	0.0880
5	602/8/1/2	0.0920
6	602/8/1/3	0.1260
7	602/10/1	0.1220
8	702/1	0.1720
9	702/2	0.1390
10	702/5/2	0.0710
11	611/1	0.0760
12	698/3/1/1/1/2/2	0.0210
13	698/3/1/1/2	0.1920
14	698/3/1/2	0.0600
15	698/3/2/2	0.1900
16	690/1	0.0320
17	694/1	0.1560
18	694/2	0.1090
19	724	0.0210
20	723/1	0.2220
21	723/2	0.1610
22	723/3...	0.1600
23	722/2	0.0250
24	721/2	0.0160
25	729/1	0.1510
26	729/3/1	0.0520
27	729/4	0.0620
28	730/1/1	0.0560
29	730/1/2	0.0240
30	730/2	0.0600
31	730/3	0.0560
32	730/4	0.0560
33	730/5	0.0560
34	730/6	0.0120
35	731/1	0.0030
कुल योग-		3.1670

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत रेरूआ खुर्द गाइनर-2 नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-2238-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - सेमरी

(घ) क्षेत्रफल- 5.9490 हे०

क्र.	खसरा नं०	अर्जित रकवा (है.में.)
1	305/1	0.2010
2	- 305/2	0.1450
3	306	0.0720
4	307/1	0.0780
5	307/2	0.1810
6	309	0.2180
7	310/1/1	0.0740
8	283/1/1	0.0470
9	283/1/2	0.0520
10	283/2/3	0.1250
11	281/3	0.1730
12	281/1/1/3	0.1590
13	281/1/2/1	0.1290
14	281/1/3	0.0050
15	170/1	0.1730
16	170/2	0.1730
17	169/1	0.1130
18	169/2	0.1160
19	169/3/1/1	0.0750
20	168/3/1	0.0070

21	167	0.2750
22	166	0.0080
23	124	0.1870
24	118	0.1990
25	117/5/2	0.0170
26	114/1	0.0070
27	114/2	0.0040
28	116/1	0.1130
29	116/2	0.0710
30	116/3	0.0050
31	68/2	0.4050
32	69	0.0080
33	67/1	0.2350
34	66/1	0.1250
35	45	0.0110
36	44/1	0.0750
37	44/2	0.2460
38	43	0.0120
39	42	0.1770
40	40	0.0240
41	39/1	0.0160
42	39/2/1	0.1540
43	39/2/2/1	0.1830
44	38/1	0.0130
45	37/1	0.2470
46	37/2	0.0210
47	37/3	0.1540
48	25/1/1	0.2010
49	25/1/2	0.0580
50	25/3	0.3390
51	25/4/2	0.0430
कुल योग—		5.9490

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत फुरताल खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिए)

शहडोल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक 01/बी-121/2019-20, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी/पोंगरी	447/2/1	0.050
			443/1	0.163

कमांक 03/बी-121/2021-22, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम नंदना, पटवारी हल्का हरदी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नंदना तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	नंदना / हरदी	520/2/1	0.055

क्रमांक 04/बी-121/2021-22, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम मैका, पटवारी हल्का पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम मैका तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	मैका/पोंगरी	155/2	0.695

क्रमांक 05/बी-121/2021-22, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	पोंगरी/पोंगरी	71/1	0.090

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिनीषा भगवती पाण्डेय, उपायुक्त (राजस्व).

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 30 सितम्बर 2024

प्रारूप "बारह"
(नियम-10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र.-भू-सर्वेक्षण-2024-843.- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचना करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं :-

अनुसूची

क्रं.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्रं./ सेक्टर क्रं.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शिवपुरी	पिछोर	मूल ग्राम-महोबा डामरौन मजरा ग्राम-इमलिया	00235	ग्राम का संपूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर)

Form XII

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan
Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam 2020**

Commencement of Land Survey

No. 843-Land Survey-.....2024.- In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code. 1959 (No. 20 of 1959) read with Rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Sarvekshan Tatha Bhu-Abhilekh) Niyam 2020 the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh, hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) of the Schedule below have been taken under land survey.-

SCHEDULE

S.No	District	Tahsil	Village/Town	Patwari Halka No./Sector No.	Area taken under Land Survey
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Shivpuri	Pichhor	Mool Village-Mahowa Damron Majara Tola-Imaliya	00235	Village Total area (except Abadi)

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त भू-अभिलेख.